मतदाताओं की पहचान हेतु दस्तावेज

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि० (COFFED), द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मतदान के दिन मतदाताओं की पहचान हेतु प्राथमिक दस्तावेज के रूप में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता फोटो पहचान पत्र को आधार माना जाए। **जिन मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं बन पाएं हैं, उनके लिए निम्नांकित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अपनी पहचान स्थापित करने हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक होगा:—**

(1) वैध पासपोर्ट।

(2) वैध ड्राइविंग लाइसेन्स।

(3) आयकर पहचान—पत्र (पी० ए० एन०)।

(4) आधान कार्ड।

(5) राज्य / केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या सीमित सार्वजनिक कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचार पत्र।

(6) मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्गत फोटोर्युक्त छात्र पहचान पत्र / लाइब्रेरी कार्ड।

(7) बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त वैध पासबुक और किसान पासबुक।

(8) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछडा वर्ग अनुसूची—1 / पिछड़ा वर्ग अनुसूचि—2 से संबंधित फोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्र।

(9) फोटोयुक्त वैध शस्त्र लाइसेंस।

(10) फोटोयुक्त सम्पति संबंधी दस्तावेज, यथा पट्टा, निबंधित डीड।

(11) फोटोयुक्त मूल पेंशन दस्तावेज यथा, पेंशन भुगतान दस्तावेज / भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक / भूतपूर्व सेनिक विधवा प्रमाण पत्र / आश्रित प्रमाण पत्र / वृद्धावस्था पेंशन कार्ड / विधवा पेंशन कार्ड।

(12) फोटोयुक्त वैध रेलवे पास।

(13) फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अपंगता प्रमाण पत्र।

(14) फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र।

(15) फोटोयुक्त मनरेगा जॉब कार्ड।

(16) श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड।

(17) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन० पी० आर०) के अंतर्गत भारत के महापंजीयक (आर० जी० आई०) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड।

(18) संघ द्वारा निर्गत हिस्सा प्रमाण—पत्र।

(19) निर्वाचन—प्रमाण पत्र —अध्यक्ष / मंत्री / सदस्य प्रबंध समिति।

(20) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी / प्रशासक के पद पर नियुक्ति पत्र / पहचान पत्र।

(21) समिति के अधिकृत मंत्री / अध्यक्ष द्वारा सत्यापित फोटोर्युक्त डेलीगेट प्रोफर्मा में।

Returning Officer

इसके अतिरिक्त भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव में समय–समय पर कोई अन्य वैकल्पिक दस्तावेज जोड़े जाते हैं, जो उक्त दस्तावेज को स्वतः इस सूची में जोड़ दिया जाएगा। यह आगाह किया जाता है कि किसी समिति के अध्यक्ष, सचिव या अन्य द्वारा मतदाताओं की पहचान हेतु उपरोक्त सूची से अलग कोई वैकल्पिक दस्तावेज जारी किया जाएगा।

- उपर्युक्त दस्तावेजों की मान्यता तभी हो पाएगी जब वे मूल रूप में प्रस्तुत किए जाएं। पहचान हेतु दस्तावेज की फोटो कॉपी प्रस्तुत करने पर उसे पीठासीन पदाधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- मतदाता पहचान पत्र में मतदाता के नाम, पिता/माता/पति का नाम, लिंग, आयु या पता से संबंधित प्रविष्टियों में सूक्ष्म अथवा साधारण विसंगतियों को नजरअंदाज कर मतदाताओं को मत देने की अनुमति दी जायेगी जबतक कि उस पहचान पत्र से मतदाता से मतदाता की पहचान स्थापित होती हैं।

ह0/–

सहायक निर्वाचन पदाधिकारी
बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि0 (COFFED)

Office of the Returning Officer 15/11

ज्ञापांक : 19408/संघ/2022 दिनांक : 15/11/2022
प्रतिलिपि : सभी अभ्यर्थी/मतदाताओं को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सहायक निर्वाचन पदाधिकारी
बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि0 (COFFED)

Office of the Returning Officer 15/11/2022